खण्ड-391, अंक-4
बृहस्पतिवार, 25 फाल्गुन, शक संवत् 1910
(16 मार्च, 1989 ई0)

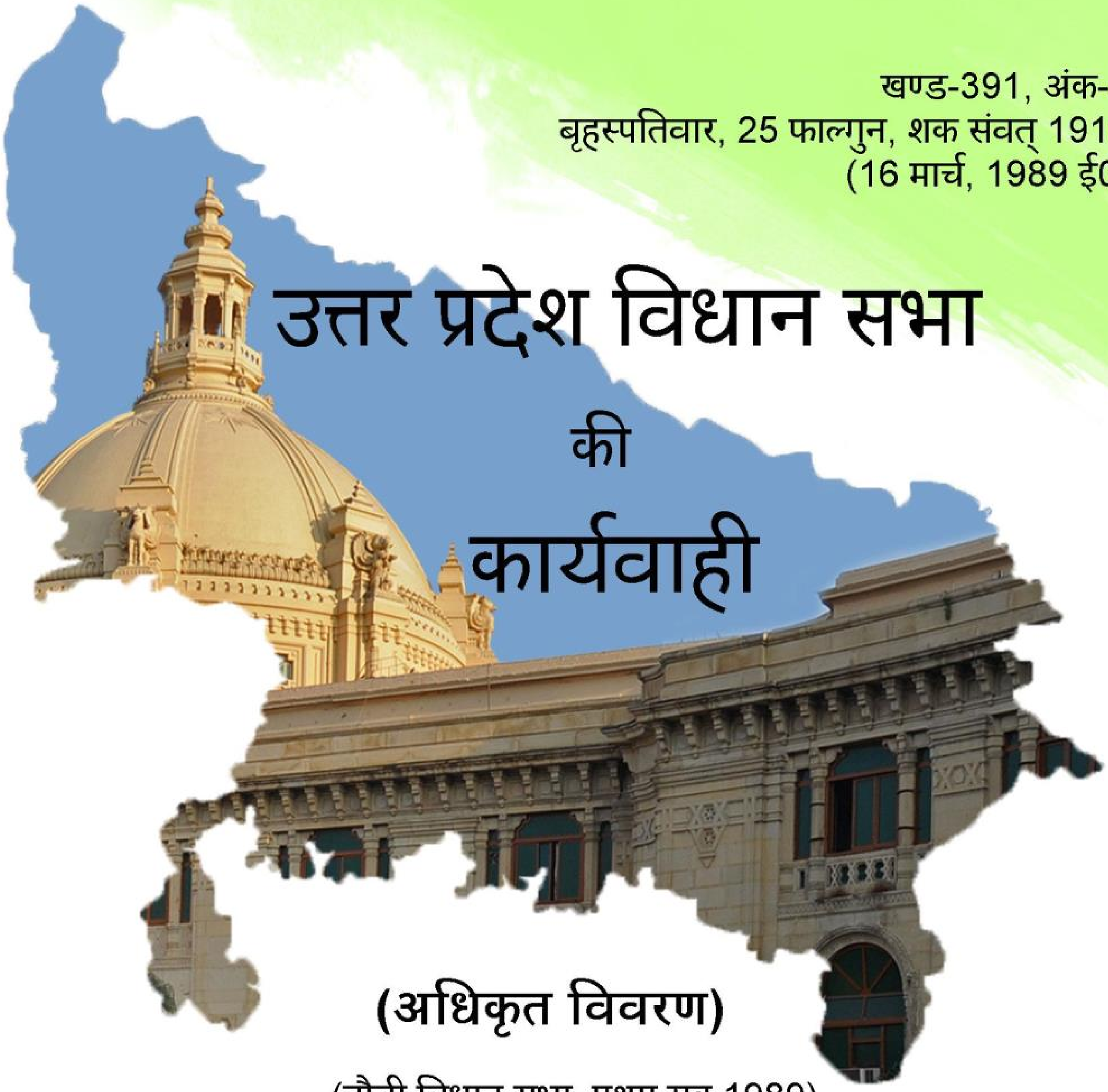

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1989)

खण्ड 391 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1989

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	
श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी आदि माननीय सदस्यों द्वारा नियमों को निलम्बित करके नियम 311 के अन्तर्गत ठक्कर आयोग सम्बन्धी प्रस्ताव लिये जाने की मांग	1
प्रश्नोत्तर	2
वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 49—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) अनुदान संख्या 50—राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) अनुदान संख्या 51—राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) अनुदान संख्या 84—सहायता एवं पुनर्वास विभाग (स्वीकृत)	21
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	23
नत्थियां	24

विधान सभा पुस्तकालय

विधान सभा पुस्तकालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 16 मार्च, 1989

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ, में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे।

अजीत प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अमीर आलम खां, श्री (मुजफ्फरनगर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अवनीश कुमार सिंह, श्री (बदायूं)
आर0एन0पाठक, श्री (कानपुर)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
उर्मिला अग्निहोत्री एडवोकेट, कु0 (एटा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (झांसी)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
किरन पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
केशरी सिंह, कर्नल (बस्ती)
कोकब हमीद, श्री (मेरठ)
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री (सीतापुर)
गौरी शंकर, श्री (इटावा)
चन्द्र सेन, श्री (जौनपुर)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
जय नारायण शर्मा, श्री (मेरठ)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दिनेश जौहरी, डा0 (बरली)
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री (आजमगढ़)
नरेन्द्र देव, श्री (मिर्जापुर)
नरेन्द्र पाल सिंह, श्री (बरेली)
निर्भय पाल शर्मा, श्री (सहारनपुर)
निसार हुसैन, श्री (रामपुर)
परागी लाल, चौधरी (सीतापुर)
प्रेमीला बद्धवार मेहरा, श्रीमती (बदायूं)
फागू चौहान, श्री (आजमगढ़)
बलदेव सिंह, कैप्टेन (अलीगढ़)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम यादव, श्री (मैनपुरी)
बुधपाल सिंह "खुर्जावाले", श्री (बुलन्दशहर)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
ब्रहमदत्त द्विवेदी, श्री (फर्रुखाबाद)
भगौती सिंह, श्री (लखनऊ)
भोला सिंह, श्री (इलाहाबाद)
मनोहर लाल, श्री (उन्नाव)
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
महरम सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री (इलाहाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मानवेन्द्र सिंह, कुंवर (झांसी)
मोहम्मद रिजवानुलहक, श्री (मुरादाबाद)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रवीन्द्र नाथ तिवारी श्री (फैजाबाद)
राकेशधर त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजबहादुर, श्री (जौनपुर)
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
रामऔतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
रामकृष्ण, श्री (सीतापुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
रीना कुमारी, श्रीमती (मुरादाबाद)
लोकपति त्रिपाठी, श्री (मिर्जापुर)
विजय लक्ष्मी, श्रीमती (बलिया)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
शतरुद्र प्रकाश, श्री (वाराणसी)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिवबख्श सिंह राठौर, श्री (मैनपुरी)
शिव बालक पासी, श्री (रायबरेली)
शूरवीर सिंह सजवाण, श्री (टेहरी-गढ़वाल)
शेर बहादुर सिंह, श्री (फैजाबाद)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, डा0 (सुल्तानपुर)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
समरपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री (खीरी)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री (फैजाबाद)
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (रायबरेली)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गढ़वाल)
सुरेश चन्द्र, श्री (नैनीताल)
सैयद अली अशरफी, श्री (पीलीभीत)
सैयद जावेद अली सब्जपोश, श्री (गोरखपुर)
सैयद सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
हर नारायण सिंह, श्री (रायबरेली)
हाफिज मो0 उमर, श्री (कानपुर)
हितेश कुमारी, श्रीमती (बुलन्दशहर)

मध्यप्रदेश विधान सभा

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी आदि माननीय सदस्यों द्वारा नियमों को निलम्बित करके नियम 311 के अंतर्गत ठक्कर आयोग सम्बन्धी प्रस्ताव लिये जाने की मांग

(श्री अध्यक्ष के आने पर सभी विपक्ष के सदस्यों के एक साथ खड़े होने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया बैठें । मैं किसी को इस समय बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं । यह प्रश्नों का समय है ।

(प्रश्न संख्या–1 के पुकारे जाने पर)

(विरोध पक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया बैठें । किसी की कोई बात लिखी नहीं जायेगी । मैं किसी को बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

एक सदस्य–

हर्ष वर्धन जी ने जो सूचना दी है, ठक्कर आयोग के विषय में, उस पर चर्चा होनी चाहिए ...

एक सदस्य–

[x x x]

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

यह कुछ लिखा नहीं जायेगा । मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । आप कृपया शोर न करें । प्रश्नों के समय में कोई व्यवस्था नहीं होती ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, हमने एक प्रस्ताव दिया है, जो न तो संविधान विरोधी है, और न उसमें किसी भी प्रकार की असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया है . . .

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

(विपक्ष के बहुत से सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 12.30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 11 बजकर 3 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी ।)

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, दिनांक 16 मार्च, 1989

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों की भांति राजकीय शिक्षकों को समयमान वेतनमान न दिये जाने का औचित्य

**1—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कार्यरत राजकीय शिक्षक राज्य कर्मचारियों की श्रेणी में आते हैं? यदि हां, तो क्या यह सही है कि प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को 10 वर्ष की सेवा पर समयमान वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि हां, तो राजकीय शिक्षकों को इस लाभ से वंचित रखने का क्या कारण है ?

शिक्षा, खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

जी हां ।

प्रदेश के द्वितीय श्रेणी तक के गैर शिक्षक नियमित कर्मचारियों को दस वर्ष की सेवा पर समयमान वेतनमान दिया जा रहा है ।

राजकीय शिक्षकों की स्थिति अन्य राज्य कर्मचारियों से भिन्न है ।

पर्वतीय क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में स्थित राजकीय चिकित्सालयों में अंशकालिक चिकित्सकों की स्थायी नियुक्ति

**2—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, कि सन् 1987 में पर्वतीय जनपदों के ग्रामीण अंचलों में राजकीय चिकित्सालयों में अंशकालिक चिकित्सकों के रूप में जिन आयुर्वेदिक एवं यूनानी स्नातकों को आमन्त्रित किया गया था तथा उनकी नियुक्त अंशकालिक चिकित्सक के रूप में ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय चिकित्सालयों में की गयी थी, उनकी स्थायी नियुक्ति के संबंध में शासन ने क्या निर्णय लिया है जबकि सभी अंशकालिक चिकित्सक उपर्युक्त पद के लिये आवश्यक अर्हताएं पूरी कर रहे हैं ? इन्हें कब तक स्थायी किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)—

पर्वतीय क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में स्थित राजकीय चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने हेतु अंशकालिक चिकित्सकों की नियुक्ति संबंधित जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा निश्चित मानदेय पर की गयी है और नियुक्ति की शर्तों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है कि ऐसी नियुक्ति राजकीय सेवा की परिभाषा में नहीं आती है और किसी भी दशा में इस प्रकार की सेवा राजकीय सेवा नहीं मानी जायेगी । ऐसी नियुक्ति नियमित/तदर्थ रूप से चयनित चिकित्साधिकारियों के उपलब्ध हो जाने पर स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

अतः अंशकालिक चिकित्सकों को राजकीय सेवक मानने या उन्हें राजकीय सेवकों की भांति नियमितीकरण/स्थायीकरण का लाभ दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद पीलीभीत में नकली दवाओं पर रोक विषयक कार्यवाही

*1—डा0 दिनेश जौहरी तथा श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि पीलीभीत में दिनांक 12 दिसम्बर, 88 के आस पास बहुत भारी मात्रा में विभिन्न दवाइयों की दुकानों से नकली घटिया व नशीली दवायें पकड़ी गईं ? यदि हां, तो इस पर रोक लगाने के लिए सरकार कोई कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां, पुलिस द्वारा तीन एलोपैथिक मेडिकल स्टोर एवं एक आयुर्वेदिक लेबोरेट्री पर दिनांक 12 दिसम्बर, 1988 को छापा डाला गया था और कुछ दवायें बरामद की गईं थीं, जिनकी पुलिस प्राधिकारियों द्वारा ही विवेचना की जा रही है ।

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनी नियमावली के अनुसार प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु औषधि नियंत्रक द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पीलीभीत को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं ।

*2—श्री सूर्य प्रताप शाही—

[दिनांक 2-3-89 को ता0 प्र0 सं0 13 द्वारा उत्तरित]

*3—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[दिनांक 13-3-89 को नियम 52 के अंतर्गत सदन में चर्चा हो जाने के कारण निरस्त]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद आगरा में कृषि मण्डी समिति के धन से सड़कों का तारकोल लेपन स्तर तक कार्य कराया जाना

*1—श्री विजय सिंह राणा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि उत्पादन मण्डी समिति के धन से जनपद आगरा में वर्ष 1977-78 व 78-79 में मिट्टी व इण्टरकोट स्तर की बनी सड़कों के तारकोल लेपन-स्तर तक का कार्य कब तक पूरा करा लिया जायेगा और अभी तक उन्हें तारकोल लेपन स्तर तक पूरा न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल)—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*2—श्री जयदीप सिंह बरार—

[दि0 13-3-89 को नियम 52 के अन्तर्गत सदन में चर्चा हो जाने के कारण निरस्त]

[गुरुवार, दि0 16 मार्च, 1989 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

उ0 प्र0 में निर्धनों को नि:शुल्क उच्च चिकित्सा सुविधा के आदेश

*1—श्री हृदय नारायन दीक्षित—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 में निर्धनों, गरीबों को नि:शुल्क उच्च चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में क्या मंत्री जी से संबंधित निर्धन मरीज को मिलकर उक्त विषयक आदेश करवाने के बाद नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा मिलती है ? यदि हां, तो मंत्री जी से मिलने में अक्षम/राजधानी से बहुत दूर पहाड़ी इलाकों आदि में रहने वाले निर्धनों को नि:शुल्क चिकित्सीय सुविधा दिए जाने के संबंध में क्या सरकार इस प्रक्रिया के सरलीकरण पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो खाका क्या है ? कब तक नई प्रक्रिया अपनाई जायेगी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी नहीं, निर्धनों/गरीबों को नि:शुल्क चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 30 प्रतिशत शैय्याएं राजकीय चिकित्सालयों में आरक्षित हैं । इन शैय्याओं के रोगियों को समस्त चिकित्सा सुविधायें नि:शुल्क दी जाती हैं ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के कतिपय जिलों में एन्सेफ्लाइटिस (मस्तिष्क ज्वर) से रोगियों की मृत्यु

*2—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988 में उपलब्ध सूचना के आधार पर प्रदेश के कौन-कौन से जिलों में एन्सेफ्लाइटिस (मस्तिष्क ज्वर) से कितने रोगियों की मृत्यु हुई ? इस रोग के पिछले लगभग 10 वर्ष से प्रदेश में प्रत्येक वर्ष व्यापक रूप से फैलाव को देखते हुए राज्य सरकार ने इसके नियंत्रण हेतु क्या कदम उठाये हैं तथा इनके क्या-क्या परिणाम सामने आये हैं ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

सूचना निम्नवत है :—

क्र0 सं0	जनपद	मृतक रोगियों की संख्या
1—	गोरखपुर	739
2—	बस्ती	61
3—	देवरिया	343
4—	आजमगढ़	85
5—	बहराइच	70
6—	गोण्डा	71
7—	बलिया	26
8—	फैजाबाद	18

रोग के नियंत्रण हेतु निम्नलिखित कदम उठाये गये :–

1–मच्छरों के नियंत्रण हेतु कीटनाशक औषधियों की फागिंग व छिड़काव किया गया ।

2–नियंत्रण कक्षों की स्थापना की गई ।

3–विशेष उपचार केन्द्रों की स्थापना की गई ।

4–विशेष चिकित्सा कक्षों की व्यवस्था की गई ।

5–रोगियों को निःशुल्क उपचार एवं यातायात सुविधा उपलब्ध कराई गई ।

6–जन साधारण को रेडियो, समाचार पत्रों, विज्ञापनों एवं हैण्ड बिल्स आदि के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा दी गई ।

7–समस्त सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं जैसे रेडक्रास आदि से भी सहयोग प्राप्त किया गया ।

8–जनपदों को आवश्यकतानुसार अतिरिक्त औषधियों एवं अन्य संसाधनों की त्वरित आपूर्ति की गई ।

9–जापानी इन्सेफ्लाइटिस महामारी से संबंधित सभी पहलुओं पर जानकारी प्राप्त करने हेतु बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर में शोध संस्थान की स्थापना इण्डियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च की देखरेख में हो रही है ।

इन उपायों से प्रभावित रोगियों की मृत्यु प्रायः 32 प्रतिशत के अन्दर रखी जा सकी ।

राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाओं में लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित चिकित्साधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता का निर्धारण

*3–श्री बृहस्पत दत्त द्विवेदी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाओं में वर्ष 1978 से वर्ष 1985 के बीच नियुक्त विनियमित एवं लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित चिकित्साधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारण हेतु शासन ने कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या इस निर्णय के अनुसार वरिष्ठता सूची प्रकाशित कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सूची कब तक प्रकाशित कर दी जायेगी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां । जनवरी 1, 1977 एवं 5-1-83 के मध्य तदर्थ रूप से नियुक्त एवं विनियमित तथा वर्ष 1985 में लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित, जिसमें वर्ष 1978 से वर्ष 1985 के बीच नियुक्त विनियमित एवं लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी भी सम्मिलित है, आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता के निर्धारण की कार्यवाही शासन स्तर पर अन्तिम चरण पर है एवं उक्त वरिष्ठता सूची शीघ्र ही प्रसारित कर दी जायगी ।

परिवार कल्याण कर्मचारियों की सेवाओं का स्थायीकरण

*4–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि परिवार कल्याण कर्मचारियों की सेवाओं को स्थायी किए जाने की दिशा में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है और सारे कर्मचारियों को कब तक स्थायी कर दिया जायेगा ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*5–श्री सूर्य प्रताप शाही–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*6–श्री विजय सिंह राणा–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

*7–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

[दि0 2-3-89 को ता0 प्र0 सं0 13 द्वारा उत्तरित]

*8–श्री कुशल पाल सिंह–

[दि0 16-2-89 को ता0 प्र0 सं0 15 द्वारा उत्तरित]

आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सकों व कम्पाउन्डरों को निःशुल्क आवासीय सुविधा दिया जाना

*9–श्री राज किशोर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सकों व कम्पाउन्डरों को निःशुल्क आवासीय व्यवस्था अनुमन्य है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त अधिकारियों व कर्मचारियों को निःशुल्क आवासीय व्यवस्था कराने पर विचार करेगी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी नहीं ।

जी हां ।

*10–श्री नंगा राम–

[11वें सोम में ता0 प्र0 सं0 20 पर स्थानान्तरित]

बेरोजगार होम्यो0 चिकित्सकों को रोजगार सुलभ कराने की योजना

*11–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेरोजगार होम्यो0 चिकित्सकों को रोजगार सुलभ कराये जाने से संबंधित कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी नहीं । होम्योपैथिक चिकित्सक बेरोजगार की श्रेणी में नहीं आते हैं क्योंकि वे चिकित्सीय शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् निजी व्यवसाय प्रारम्भ कर सकते हैं । अतएव उनको रोजगार सुलभ कराये जाने की किसी योजना की रचना किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

एग्रो (उ0 प्र0) के घाटे को रोकथाम विषयक उपाय

*12–श्री मैनेजर सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एग्रो उ0 प्र0 की 1987-88 की बैलेन्स शीट तैयार है ? यदि हां, तो 1 अप्रैल, 1988 को एग्रो कितने करोड़ रुपये के घाटे में था और भविष्य में घाटे को रोकने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

जी नहीं ।

अनुमानित संचित घाटा 16.75 करोड़ रुपये है ।

प्रभावी वित्तीय नियंत्रण एवं अनुश्रवण तथा उत्पादन, उत्पादकता, बिक्री एवं व्यापार में वृद्धि करके घाटा रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

जनपद मिर्जापुर में लाह विकास योजना में कार्यरत दैनिक श्रमिकों एवं सुपरवाइजरों की मजदूरी व वेतन का भुगतान न किये जाने का औचित्य

*13–श्री विजय सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के दुद्धी क्षेत्र में लाह विकास योजना में काम कर रहे दैनिक श्रमिकों की मजदूरी एवं सुपरवाइजरों का वेतन अक्टूबर, 1985 से अब तक का न मिलने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी शीघ्र उनकी मजदूरी व वेतन दिलाने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

लाह विकास योजना के अन्तर्गत कार्यरत दैनिक श्रमिकों का कोई भुगतान अवशेष नहीं है। अब तक सुपरवाइजरों के वेतन भुगतान न होने के पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है। जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, स0 वि0 स0 की अध्यक्षता में परिवार कल्याण कार्यक्रम की समीक्षा

*14–श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)–

क्या सरकार को जानकारी है कि मार्च अथवा अप्रैल, 88 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री श्री लोकपति त्रिपाठी ने विधायक श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी की अध्यक्षता में चार उप समितियों का गठन करके प्रदेश के चार जनपदों में परिवार कल्याण कार्यक्रमों की गहन छानबीन कराने का निश्चय किया था जिसे आज तक क्रियान्वित नहीं किया गया ? यदि हां, तो सही स्थिति क्या है और परिवार कल्याण कार्यक्रम की समीक्षा कराकर उनमें हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार को क्या परेशानी है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां । माननीय श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य, विधान सभा की अध्यक्षता में परिवार कल्याण कार्यक्रम की समीक्षा हेतु 4 उप समितियों का गठन शासनादेश संख्या–एम0 166/16-11-89-9(97)/88, दिनांक 24 फरवरी, 1989 द्वारा किया जा चुका है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

*15–डा0 दिनेश जौहरी–

[8वें गुरुवार के लिये स्थगित]

*16–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

[दिनांक 3-3-89 को ता0 प्र0 सं0–8 द्वारा उत्तरित]

आयुर्वेदिक एवं यूनानी विद्यालयों के विद्यार्थियों की होने वाली परीक्षाओं की जानकारी

*17–श्री कौशिक रमा शंकर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि इस वर्ष से आयुर्वेदिक एवं यूनानी विद्यालयों के विद्यार्थियों की परीक्षाएं कानपुर विश्वविद्यालय के परिसर में कराने का फैसला लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी नहीं ।

*18–डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा–

[दि0 2-3-89 को ता0 प्र0 सं0 14 द्वारा उत्तरित]

*19–श्री औसान सिंह–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

प्रदेश में बच्चों की मृत्यु दर कम करने के उपाय

*20–श्री बदन सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में बच्चों की मृत्यु दर प्रति हजार क्या है ? मौजूदा मृत्यु दर को कम करने हेतु शासन क्या प्रभावी कदम उठायेगा ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्रदेश में बच्चों की मृत्यु दर 132 प्रति हजार है। मृत्यु दर को कम करने हेतु प्रदेश में वृहत प्रतिरक्षण कार्यक्रम एवं ओरल रिहाईड्रेशन थिरैपी (मौखिक पुनर्जलीकरण उपचार) कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। साथ ही मातृ एवं शिशु कल्याण उपकेन्द्रों का विस्तार किया जा रहा है।

अतारांकित प्रश्न

महिला हेल्थ सुपरवाइजर श्रीमती जोखना देवी प्रा0 स्वा0 केन्द्र बनकटी, बस्ती के बकाये वेतन का भुगतान

1–श्री अफसर यू अहमद–

क्या स्वास्थय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती जोखना देवी महिला हेल्थ सुपरवाइजर प्रा0स्वा0 केन्द्र बनकटी जनपद बस्ती का माह अगस्त 86 का वेतन माह सितम्बर 86 में

आहरित होने के उपरान्त उसका भुगतान 3 जून 87 को क्यों किया गया ? क्या इसके लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मैनपुरी में जसराना अस्पताल को शीघ्र पूरा कराने की मांग

2–श्री बलबीर सिंह यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील जसराना जनपद मैनपुरी में जसराना अस्पताल का कार्य लगभग पांच साल से भी अधिक समय से चल रहा है और अभी तक पूरा नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो इसे शीघ्र पूरा कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ0 प्र0 तराई बीज निगम के पास कुफरी ज्योति प्रजाति के आलू के बीज की कमी की पूर्ति करने का साधन

3–श्री बलवीर सिंह यादव–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989-90 में उत्तर प्रदेश तराई बीज निगम का किस मात्रा में कुफरी ज्योति प्रजाति के आलू बीज प्रमाणित श्रेणी के पैदा करने का लक्ष्य है और क्या इस प्रोग्राम की पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश तराई बीज निगम के पास पर्याप्त मात्रा में कु0 ज्योति प्रजाति का आधारीय द्वितीय श्रेणी का बीज उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो उ0 प्र0 तराई बीज निगम इस कमी की पूर्ति किस प्रकार करेगा ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

वर्ष 1989-90 में उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम द्वारा 12 हजार क्विंटल कु0 ज्योति प्रजाति का आलू प्रमाणित बीज उत्पादन का लक्ष्य है ।

2–निगम द्वारा रबी 1988-89 में इस प्रजाति का लगभग 750 कु0 आधारीय बीज उत्पादित किया जा रहा है । इस प्रजाति के प्रमाणित बीज की मांग को देखते हुए तथा लक्ष्य को ध्यान में रखकर निगम ने 1250 कु0 आधारीय बीज अन्य श्रोत से क्रय कर लिया है। इस प्रकार निगम के पास कुल 2000 कु0 आधारीय बीज उपलब्ध होगा । इस आधारीय बीज से वर्ष 1989-90 में लगभग 12,000 कु0 प्रमाणित बीज उत्पादित हो सकेगा ।

उ0 प्र0 पहाड़ी जनपदों को आलू उत्पादकों को कुफरी ज्योति प्रजाति के आलू का आवंटन

4–श्री बलवीर सिंह यादव–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जनपदों में आलू उत्पादकों को फरवरी, मार्च तथा अप्रैल, 1989 में बोने हेतु कुफरी ज्योति प्रजाति के कितने बीज की आवश्यकता का अनुमान है और उ0 प्र0 उद्योग विभाग द्वारा इस वर्ष इन महीनों में कितना आलू बीज इन जनपदों में बांटने की योजना है ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

पर्वतीय क्षेत्र के जनपदीय आलू एवं शाक भाजी विकास अधिकारियों की मांग के अनुसार कृषकों में वितरण हेतु फरवरी, मार्च तथा अप्रैल में लगभग 7160 कुन्टल आलू कुफरी ज्योति प्रजाति के बीज की आवश्यकता है । उपरोक्त मांग के अनुसार उद्यान विभाग द्वारा 7160 कुन्टल कुफरी ज्योति आलू बीज का आवंटन माह फरवरी, 1989 में किया जा चुका है ।

कृषि उत्पादन मण्डी समिति लि0 बिल्थरा रोड बलिया के नवनिर्मित भवन एवं मण्डी लगाने का प्राविधान

5–श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि कृषि उत्पादन मण्डी समिति लि0 बिल्थरा रोड जिला–बलिया का भवन कब बनना प्रारम्भ हुआ व कब तैयार हो गया ? उक्त मण्डी स्थल पर मण्डी लगवाने का कार्य आरम्भ न कराये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार समिति प्रांगण में मण्डी लगवाने का प्राविधान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

प्रश्नगत मण्डी स्थल के भवन निर्माण का कार्य सितम्बर, 1980 से प्रारम्भ हुआ और फरवरी, 1985 में पूर्ण किया गया । व्यापार स्थानान्तरण संबंधी अधिसूचना दिनांक 14-1-88 को जारी कर दी गयी है । कार्यान्वियन में विलम्ब के कारणों की जांच की जा रही है ।

कृषि उत्पादन बाजारों के विनियमन और प्रबन्ध से संबंधित राष्ट्रीय कार्यशाला की प्रमुख संस्तुतियां एवं उनका कार्यान्वयन

6–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि 2-1-84 से 5-1-84 तक कृषि उत्पादन बाजारों के विनियमन और प्रबन्ध के संबंध में जयपुर में हुई राष्ट्रीय कार्यशाला की प्रमुख संस्तुतियां सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो वे क्या थीं और उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी कृपया यह भी बताएंगे कि 15 जनवरी से 17 जनवरी, 1986 को विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, भारत सरकार की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर हुए कृषि विपणन राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा भी संस्तुतियां भेजी गई थीं ? यदि हां, तो वह क्या हैं और शासन द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

जी हां ।

1–स्टेट्यूटरी मार्केटिंग बोर्ड बनाया जाना ।

2–फीडर सेड आदि की व्यवस्था सेस लगाकर करना ।

3–कृषि विपणन और संबंधित संस्थाओं से शोध में समन्वय ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 पहले से ही लागू है । मण्डी समितियों के धन से सड़क और कृषकों के हित के अन्य निर्माण कार्य किये जाते हैं । शोध की दिशा में भी समन्वय किया जा रहा है ।

जी हां ।

निदेशक विपणन की आख्या इन संस्तुतियों पर 14-3-89 को प्राप्त हुई । शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है ।

उप कृषि निदेशक, कृषि नलकूप केन्द्रीय मण्डल लखनऊ के दुर्विनियोग एवं शासकीय धन में हेराफेरी के सम्बन्ध में शिकायती पत्र पर जांच

7—श्री विष्णु देव तथा श्रीमती शारदा देवी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप कृषि निदेशक, कृषि नलकूप केन्द्रीय मण्डल लखनऊ के दुर्विनियोग एवं शासकीय धन में हेरा-फेरी संबंधित शिकायती पत्र दिनांक 14-8-88 एवं 28-5-88 विधायक क्षेत्र गौरी बाजार (देवरिया) तथा प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 1-9-88 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त शिकायतों की जांच की गई है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मामले में अब तक कौन सी कार्यवाही की गई ? यदि कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल—

प्रश्न में सन्दर्भित पत्र दिनांक 28-5-88 तथा 1-9-88 प्राप्त हुआ । पत्र दिनांक 14-8-88 प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता ।

प्राप्त हुये शिकायती पत्रों के संदर्भ में कृषि निदेशक को जांच कराने के निर्देश दिये गये ।

प्रश्नगत मामले में जांच का कार्य अपर कृषि निदेशक (प्रसार), लखनऊ को सौंपा गया जिनसे जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है । जांच रिपोर्ट प्राप्त कर यथाआवश्यक कार्यवाही करायी जायेगी ।

उ0 प्र0 उद्यान विभाग में प्रदेश से बाहर का एक औद्यानिक परामर्शदाता नियुक्त करने का औचित्य

8—श्री भोपाल सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्यान विभाग में एक औद्यानिक परामर्शदाता उ0 प्र0 से बाहर का नियुक्त किया गया है जबकि इसी विभाग में अतिरिक्त निदेशक एवं संयुक्त निदेशक के व्यक्ति काम कर रहे हैं ? यदि हां, तो यहां योग्य व्यक्तियों के होते हुए बाहर से बुलाकर नियुक्त करने के क्या कारण हैं ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल—

जी हां ।

प्रदेश की औद्यानिक विकास सम्बन्धी योजनाओं में तकनीकी सहायता प्रदान करने तथा विभिन्न राज्यों में प्राप्त उनके अनुभवों का लाभ उठाने की दृष्टि से एक भूतपूर्व उपकुलपति को एक वर्ष के लिये औद्यानिक परामर्शदाता नियुक्त किया गया है ।

उ0 प्र0 मत्स्य विभाग में निदेशक के पद पर अन्तरिम रूप से नियुक्त वर्तमान निदेशक की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि के बावजूद उन्हें प्रोन्नति दिया जाना

9—श्री रघुबर दयाल वर्मा, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री हर्ष वर्धन तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मत्स्य विभाग के निदेशक पद पर अन्तरिम रूप से नियुक्त वर्तमान निदेशक की चरित्र पंजिका में उनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध होने की प्रतिकूल प्रविष्टि के बाद उन्हें इस पद पर कैसे प्रोन्नति किया गया ? उनके भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने और सत्यनिष्ठा के संदिग्ध होने पर उन्हें पदावनति न करने के क्या कारण हैं ?

दुग्ध विकास, पशुधन एवं मत्स्य मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)—

निदेशक, मत्स्य के पद पर वर्तमान अधिकारी को प्रोन्नति नहीं दी गयी थी बल्कि अल्पकालीन व्यवस्था के लिये नियुक्त किया गया था । उक्त नियुक्ति के पश्चात् उनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध पाई गयी ।

निदेशक के पद को नियमित चयन कराकर भरने की कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद बाराबंकी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरौली के कर्मचारियों के वेतन का आहरण और वितरण की जानकारी

10—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड बंकी का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरौली में है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त केन्द्र पर कार्यरत कर्मचारियों का माह दिसम्बर, 88 का वेतन किस अधिकारी ने आहरित किया तथा क्या आहरण और वितरण के समय उनके पास कर्मचारियों की प्रमाणित उपस्थित थी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बाराबंकी के प्रा0 स्वा0 केन्द्र जाता बरौली के कार्य संचालन के सम्बन्ध में निदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन

11—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे जनपद बाराबंकी के प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र जाता बरौली के कार्य संचालन के संबंध में निदेशक परिवार कल्याण उ0 प्र0 के पत्रांक प0 का0 3/स्था0/88/घ-8/8455 दिनांक 28 नवम्बर, 1988 द्वारा क्या निर्देश दिये गये थे ? क्या उक्त निर्देशों का अनुपालन हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों और उसके लिये कौन उत्तरदायी है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

12—श्री मैनेजर सिंह—

[7वें बुध में अता0 प्र0 सं0 39 पर स्थानान्तरित]

विभागाध्यक्ष नेत्र विभाग मेडिकल कालेज, झांसी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर निदेशक की संस्तुति एवं कृत कार्यवाही

13–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री प्रश्नकर्ता के प्रथम सत्र 89 के पहले गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 79 के उत्तर के संदर्भ में यह बतायेंगे कि विभागाध्यक्ष, नेत्र विभाग, मेडिकल कालेज, झांसी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर निदेशक ने क्या संस्तुति भेजी है तथा नेत्र संस्थान कब तक कार्य करने लगेगा ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

निदेशक का अभिमत प्राप्त हो गया है । वित्तीय संसाधनों से संबंधित एवं अन्य विवरण मांगे जा रहे हैं, जिसके प्राप्त होने पर परीक्षण किया जायेगा ।

श्री वीर बहादुर पुत्र रामजतन के विरुद्ध कृषि निदेशालय द्वारा गबन के आरोप के बावजूद उन्हें पदोन्नति दिए जाने का औचित्य

14–श्री राज किशोर सिंह–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री वीर बहादुर पुत्र रामजतन सदस्य अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–3 जिनके ऊपर जनपद गोरखपुर का लगभग 50,000 रुपये का वसूली आदेश था तथा जिनके विरुद्ध कृषि निदेशालय द्वारा गबन एवं दुर्विनियोग के मामले में सी0 सी0 ए0 नियमों के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही भी चल रही थी, को कृषि निदेशालय के आदेश संख्या–ए0 बी0 (2) 7377 दिनांक 15-12-76 द्वारा अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–2 में इस प्रतिबन्ध के साथ पदोन्नति दी गयी कि यदि श्री वीर बहादुर के ऊपर कोई विभागीय वसूली व गबन आदि का मामला न हो तभी उन्हें उक्त पदोन्नति दी जाय ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में उक्त गबन तथा वसूली के रहते हुए उन्हें वर्ग–2 में परियोजना अधिकारी गोण्डा द्वारा भारमुक्त किया गया तथा उप कृषि निदेशक गोरखपुर द्वारा उनका योगदान स्वीकार किया गया? क्या इसी प्रकार के एक अन्य मामले में सहायक विकास अधिकारी कृषि नवगढ़ जिला बस्ती जिसके ऊपर केवल छः हजार की वसूली थी, को पदावनत किया जा चुका है ? यदि हां, तो एक ही प्रकार के मामले में भेदभाव किये जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी दोनों मामलों में अवधि निर्धारित करके एकरूपता लायेंगे तथा जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध जिन्होंने तथ्यों को छिपाया है, आवश्यक कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

निदेशक पशुपालन द्वारा दूसरों को पशु औषधिक पद धारक बनाये जाने की अनुमति न दिए जाने का औचित्य

15–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्रीमती विजय लक्ष्मी–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक पशुपालन ने 1-2-80 के पूर्व नियुक्त दूसरों को, पशु औषधिक पद धारक बनाये जाने हेतु एक पत्र लिखकर शासन से अनुमति मांगी थी, पर शासन स्तर से अब तक अनुमति न दिए जाने का क्या कारण है? अनुमति कब तक प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां ।

आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद गोरखपुर अस्पताल में नियुक्त कु0 इ0 एम0 पीटर्स, ट्यूटर के विरुद्ध शिकायतों की जांच

16–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कु0 इ0 पीटर्स, ट्यूटर, जी0 एन0 टी0 सेन्टर जिला अस्पताल गोरखपुर में 21 वर्ष से इसी अस्पताल में कार्यरत हैं जो नियम विरुद्ध है ? क्या यह सच है कि इनके विरुद्ध एक पत्र दिनांक 6-7-88 को श्री राम कुमार गुप्त प्रधान सम्पादक जयपत्र गोरखपुर द्वारा भेजा गया है ? यदि हां, तो शिकायतों की जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

श्री राजकुमार गुप्त, प्रधान सम्पादक जयपत्र, गोरखपुर का पत्र दिनांक 6-7-88 प्राप्त हुआ है ।

इसकी जांच अपर निदेशक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर द्वारा करायी जा रही है ।

मत्स्य विभाग में निदेशक मत्स्य के पद पर अनियमित नियुक्ति का औचित्य

17–श्री हृदय नरायन दीक्षित तथा श्री शारदा प्रताप–

क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि मत्स्य विभाग में निदेशक मत्स्य के पद पर एक ऐसे अधिकारी कार्यरत हैं जिनका नियमित चयन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इतने वरिष्ठ पद पर अनियमित नियुक्ति के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां ।

निदेशक के पद को नियमित चयन कराकर भरने की कार्यवाही की जा रही है ।

निदेशक उद्यान एवं फल उपयोग उ0 प्र0 के पद पर चयन की कार्यवाही

18–श्री भोपाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि निदेशक, उद्यान एवं फल उपयोग, उ0 प्र0 के पद पर चयन की कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो इस पद पर चयन की कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

शासन स्तर पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विचार किया जा रहा है ।

जनपद देहरादून के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डोईवाला में कार्यरत डा0 एन0 के0 खन्डूरी एवं स्टाफ नर्स लक्ष्मी के विरुद्ध शिकायतों की जांच

19–श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा श्री अकबर अहमद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डोईवाला जनपद देहरादून में कार्यरत डा0 एन0 के0 खन्डूरी एवं स्टाफ नर्स लक्ष्मी के विरुद्ध जनता द्वारा अनेकों शिकायतें माह अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 1987 जनवरी,

मई, जून, अक्टूबर, दिसम्बर 1988 एवं जनवरी 1989 में उनके भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के संबंध में सी0 एम0 ओ0 देहरादून निदेशक, शासन, मंत्रियों आदि को की गई है ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

शासन स्तर पर नवम्बर, 1988 जनवरी, 1989 में शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं । प्राप्त शिकायती पत्रों तर निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश को वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराने हेतु निर्देशित किया गया है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध यथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री चिन्टोने राम यात्री द्वारा चिंगारी नाशक यंत्र के आविष्कार करने पर प्रोत्साहन हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

20–कु0 मानवेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का श्री चिन्टोने राम यात्री द्वारा ट्रैक्टरों से खलिहान में आग लगने को रोकने हेतु किये गये चिन्गारी नाशक यंत्र के आविष्कार के संबंधी पत्र संख्या 90/88, दिनांक 21 मार्च, 88 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या शासन इस यंत्र के आविष्कार को प्रोत्साहित कर इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन कराकर प्रत्येक ट्रैक्टर में इसका लगाया जाना अनिवार्य करने पर विचार करेगा ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

जी हां ।

इस यंत्र की उपयोगिता व गुणवत्ता के परीक्षण के लिए केन्द्रीय प्रक्षेत्र यंत्र प्रशिक्षण एवं परीक्षण केन्द्र, हिसार से अनुरोध किया गया है । परीक्षण रिपोर्ट के बिना यंत्र के प्रयोग के संबंध में कोई आश्वासन देना सम्भव नहीं है ।

कृषि निदेशालय में सहायक लेखाकारों को प्रतिकूल प्रविष्टि के प्राप्त प्रत्यावेदन तथा उनका निस्तारण

21–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि निदेशालय में प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध सहायक लेखाकारों के जिलों एवं मण्डलों से प्राप्त कितने प्रत्यावेदन कितने समय से लम्बित हैं और अभी तक उनके निस्तारण न किये जाने का क्या कारण है ।

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

सर्वश्री दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव, अशर्फी लाल तथा सुरेश दत्त शर्मा, सहायक लेखाकार के प्रतिकूल प्रविष्टियों के विरुद्ध प्रत्यावेदन क्रमशः दिनांकित 20-4-88, 16-5-88 तथा 2-7-88 प्राप्त हुए हैं जो प्रविष्टिकर्ता अधिकारियों की आख्या के अभाव में लम्बित हैं ।

विधान सभा क्षेत्र मेहदावल, बस्ती के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नसबन्दी कराने वाले व्यक्तियों को सुविधाएं

22–श्री अफसर यू0 अहमद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मेहदावल, बस्ती के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर वर्ष 1988 में कितने लोगों की नसबन्दी की गई ? नसबन्दी कराने वाले व्यक्तियों को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

विधान सभा क्षेत्र मेंहदावल, जनपद बस्ती के अन्तर्गत वर्ष 1988 में कुल 1023 नसबंदी की गई ।

प्रत्येक महिला लाभार्थी को रु0 110 इन्सेन्टिव मनी, रु0 30 भोजन और रु0 15 यात्रा व्यय तथा पुरुष लाभार्थी को रु0 110 इन्सेन्टिव मनी, रु0 10 भोजन और रु0 15 यात्रा व्यय दिया गया ।

आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों को 5 वर्षों से अधिक एक ही चिकित्सालय में रहने के विरुद्ध कार्यवाही

23–श्री नवाब सिकन्दर अली खां–

क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी नियमों/आदेशों के विरुद्ध 5 वर्ष से अधिक से एक ही चिकित्सालय/जिले में नियुक्त हैं तथा कितने अपने गृह जिले में नियुक्त हैं? इसके लिए कौन जिम्मेदार है और इसके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

वांछित सूचना अभी प्रतीक्षित है।

शेष प्रश्न सूचना प्राप्त होने पर उठेगा।

24 -श्री परमाई लाल–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

विकास खण्ड पाली चिकित्सालय पाली सहजनवां विकास खण्ड गोरखपुर में सोनमर्शा स्वास्थ्य केन्द्र का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में बदलने का निर्णय

25–श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड पाली, चिकित्सालय पाली सहजनवां, विकास खण्ड गोरखपुर में सोनमर्शा स्वास्थ्य केन्द्र का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में बदलने का निर्णय शासन ने लिया है? यदि हां, तो भवन आदि का काम कब तक पूरा करा लिया जायेगा?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय पाली तथा सोनवर्शा को वर्ष 1986–87 में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित किया जा चुका है। सम्प्रति इनके भवन निर्माण का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

जनपद गोण्डा व बस्ती में 3, 4 वर्षों से कार्यरत चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का स्थानान्तरण

26–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती व गोण्डा में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो लगातार पिछले 3–4 वर्ष से अथवा इससे अधिक समय से वहां कार्यरत हैं? क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों को दूसरे जनपद में जनहित में स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

सूचना अभी भी प्रतीक्षित है।

जनपद गोण्डा में स्थित अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र को कस्बा बभनान में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव

27–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जमुनहा जनपद गोण्डा एक प्राइवेट भवन में पिछले 12 साल से चल रहा है? यदि हां, तो क्या यह भी जानकारी में है कि वह स्थान चिकित्सा के प्रयोजन से अत्यन्त अधिक दूर है और उसका किराया भी अत्यन्त अधिक है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र को कस्बा बभनान में स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जनपद गोण्डा में जमुनहा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित नहीं है। उपर्युक्त स्थान के अभाव में अतिरिक्त प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र बभनान सन्निकट जमुनहा में किराये के भवन में चल रहा था जो कि अब बभनान कस्बे में स्थानान्तरित हो चुका है। जमुनहा स्थान चिकित्सा प्रयोजन हेतु उचित था, बभनान कस्बे से मात्र एक फर्लांग की दूरी पर था और 75 रुपये मासिक किराये पर था। यह किराया अधिक नहीं था। लगभग चार माह पूर्व ही यह केन्द्र बभनान कस्बे में स्थानान्तरित किया जा चुका है। अतः शेष प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सांथा के भवन निर्माण में की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

28–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 452/लो0द0/86, दिनांक 5-4-86 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांथा, जनपद बस्ती के भवन निर्माण में की गयी अनियमितताओं से सम्बन्धित उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

सन्दर्भगत पत्र तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जी के कार्यालय में प्राप्त हुआ था और उसे निदेशक, भारत जनसंख्या परियोजना को जांच हेतु भेजा गया था। भारत जनसंख्या परियोजना का कार्य समाप्त हो चुका है और यह कार्यालय वर्तमान में अब स्थित नहीं है। अतः प्रसंगत सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है।

सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से वर्ग एक में आये हुए सदस्यों की नियमानुसार ज्येष्ठता सूची

29—श्री मैनेजर सिंह—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से वर्ग-एक में आये हुए सदस्यों की नियमानुसार ज्येष्ठता सूची तैयार की जा रही है ? यदि हां, तो उसे कब तक पूरा करा लिया जायेगा ? क्या श्रेणी दो में पदोन्नति में प्रश्नगत ज्येष्ठता सूची को आधार माना जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? वर्तमान श्रेणी दो (विकास) में कुल कितने पद रिक्त हैं और उन्हें कब तक और किस प्रकार पूरा किया जायेगा ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कृषि निदेशालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी टंककों के एरियर का भुगतान

30—श्री राज किशोर सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि निदेशालय में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी टंककों को वर्ष 78 से 82 तक पांच रुपया प्रतिदिन की दर से तथा 82 से 84 तक 7—50 प्रतिदिन की दर से वेतन भुगतान किया गया था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उस अवधि में शासनादेश से कम वेतन देने वाले अधिकारी के विरुद्ध श्रमिक अधिनियम के तहत कार्यवाही करेंगे तथा उक्त अवधि में कम भुगतान हुए वेतन का एरियर दिलाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल—

वर्ष 1978 से 1982 तक रु0 5/- एवं वर्ष 1982 से 30 सितम्बर, 1984 तक रु0 7,50 तथा दिनाक 1-10-84 से रु0 10/- प्रतिदिन भुगतान किया गया है ।

श्रमिक अधिनियम लागू नहीं होता । वर्ष 1978 से 1982 एवं 1982 से वर्ष 1984 की अवधि में कार्यालय दैनिक वेतन भोगी टककों के दैनिक वेतन की दर के बारे में कोई शासनादेश नहीं था । अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठाता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद फैजाबाद भाटी ब्लाक गांव सभा हीडी पकड़िया में निर्माणाधीन मातृशिशु कल्याण केन्द्र के अवरुद्ध कार्य को पूरा कराने की मांग

31—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री की जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के भीटी ब्लाक में स्थित गांव सभा हीडी पकड़िया में निर्माणाधीन मातृशिशु कल्याण केन्द्र का निर्माण कार्य जिलाधिकारी फैजाबाद द्वारा रोक दिया गया है और तथाकथित भूमि विवाद का निपटारा उप संचालक चकबन्दी फैजाबाद के स्तर से हो जाने के बावजूद भी जिला प्रशासन उक्त निर्माण कार्य को पूरा कराने में रुचि नहीं ले रहा है ? यदि हां, तो सही स्थिति क्या है और उक्त निर्माण कार्य को कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

सूचना अभी भी प्रतीक्षित है ।

जनपद फैजाबाद स्वास्थ्य विभाग के डाक्टरों/अधिकारियों/कर्मचारियों को नया ग्रेड दिये जाने की मांग

32—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में स्वास्थ्य विभाग के बहुत से डाक्टरों/अधिकारियों/कर्मचारियों की विभाग में सरकारी सेवा का 10 वर्ष अथवा 16 वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद उन्हें अभी तक नया ग्रेड नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और ऐसे सभी लोगों को नया ग्रेड कब तक प्रदान कर दिया जायेगा ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जनपद फैजाबाद में कार्यरत कुछ चिकित्साधिकारियों को 10 वर्ष तथा 16 वर्ष की सेवावधि पूर्ण होने के फलस्वरूप सलेक्शन ग्रेड कतिपय औपचारिकतायें पूर्ण न होने के कारण स्वीकृत नहीं किया जा सका है। जनपद फैजाबाद में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों जिन्हें उक्त सुविधा नियमानुसार अनुमन्य है तथा औपचारिकतायें पूर्ण हैं उन्हें प्रदान कर दी गई है । जिन चिकित्साधिकारियों/कर्मचारियों के मामले में किन्हीं कारणवश औपचारिकतायें पूर्ण नहीं हुई और उच्चतर ग्रेड नहीं दिया जा सका उनके संबंध में भी औपचारिकतायें पूर्ण कराई जा रही है । जो प्रस्ताव पूर्ण हो जायेंगे उनके संबंध में शीघ्रातिशीघ्र आदेश हो जायेंगे ।

बस्ती जिले में पी0 एच0 सी0 की संख्या तथा उन पर कर्मचारियों की नियुक्ति तथा दी जाने वाली दवा एवं फर्नीचर का विवरण

33—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में 86-87 में कुल कितने अतिरिक्त पी0 एच0 सी0 खोले गये, कितने रुपये की दवा जिला अस्पताल द्वारा दी गई और कितने रुपये की दवा निदेशालय द्वारा दी जानी थी और कितना दी गयी ? कितना फर्नीचर दिया गया तथा कौन-कौन कर्मचारी नियुक्त किये गये ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

वर्ष 1986-87 में कुल 40 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (25 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों से परिवर्तित कर+15 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) खोले गये । नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को जिला अस्पताल से कोई औषधि नहीं दी जाती अपितु रु0 7200/- प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से औषधियां केन्द्रीय औषधि भण्डार स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से मुख्य चिकित्साधिकारियों के निस्तारण पर दी जाती हैं । 25 परिवर्तित नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को वर्ष 1986-87 में मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती के केन्द्रीय भण्डार से कुल 19,185 रुपये की दवा दी गयी और उक्त वर्ष में 1,85,175 रुपये का फर्नीचर दिया गया । 15 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना वित्तीय वर्ष 1986-87 के अन्तिम दिनों में की गयी अतः उसके हेतु उक्त वर्ष में न तो कोई दवा दी गयी तथा न ही कोई फर्नीचर दिया गया । 15 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में फार्मासिस्टों की तैनाती की गयी तथा परिवर्तित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पहले से कतिपय अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत थे ।

कृषि उत्पादन मण्डी समिति में अमीन पद पर नियुक्तियों की योग्यता

34–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या कृषि मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि कृषि उत्पादन मण्डी समिति में अमीन पद पर नियुक्ति हेतु वर्ष 82-83 में क्या योग्यता निर्धारित की गई और क्या किसी व्यक्ति को शैक्षिक योग्यता में छूट देते हुए कोंच जिला योजना में नियुक्ति की गई थी ? यदि हां, तो क्यों ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

कृषि उत्पादन मण्डी समिति में अमीन पद पर नियुक्ति हेतु हाई स्कूल अथवा हिन्दी पढ़ने लिखने के ज्ञान के साथ-साथ नीलाम करने का 5 वर्ष के अनुभव की योग्यता निर्धारित की गई थी । कोंच मंडी समिति में वर्ष 1982-83 में अमीन पद पर योग्यता में छूट देते हुये कोई नियुक्ति नहीं की गई है ।

सर्वाधिक रोगियों की संख्या वाले राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय

35–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुख्यालयों पर मैदानी क्षेत्रों में कितने 25 शैय्या युक्त राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल हैं ? उक्त चिकित्सालयों में से वे कौन से पांच ऐसे चिकित्सालय हैं जहां की वर्ष 1987-88 की असित रोगी संख्या (अन्तरंग एवं बहिरंग) क्रमशः सर्वाधिक है ? क्या इसका विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जिला मुख्यालयों पर मैदानी क्षेत्रों में 25 शैय्यायुक्त कुल 23 चिकित्सालय हैं।

वर्ष 1987-88 में अंतरंग एवं बहिरंग पांच चिकित्सालयों में रोगियों की सर्वाधिक संख्या की सूचना एकत्र की जा रही है ।

विधान सभा क्षेत्र फर्रुखाबाद में स्थित राजकीय चिकित्सालयों को आवंटित धन तथा उपयोग

36–श्री ब्रह्मा दत्त द्विवेदी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 312 विधान सभा क्षेत्र फर्रुखाबाद में स्थित विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को वर्ष 1985-86, 86-87, 87-88 एवं चालू वित्तीय वर्ष 1988-89 में कितना-कितना धन किस-किस मद में आवंटित किया गया ? इसमें से किस वर्ष में कितना धन व्यपगत हो गया और व्यपगत होने का कारण क्या था ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

312 विधान सभा क्षेत्र फर्रुखाबाद में स्थित विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों (आयुर्वेद चिकित्सालयों को छोड़कर) तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को वर्ष 1985-86, 86-87, 87-88 एवं 1988-89 में मदवार आवंटित धनराशि एवं व्यय की गयी धनराशि का विवरण संलग्न है । व्यपगत धनराशि एवं व्यपगत होने के कारणों तथा आयुर्वेद चिकित्सालयों के सम्बन्ध में सूचना प्रतीक्षित है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 24 पर)

(12 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

(विपक्ष के अधिकांश सदस्य खड़े होकर पर्चे दिखाते हुए सदन में व्यवधान उत्पन्न करने लगे)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग शान्ति बनायें । ऐसा है कि नियम 311 पर अध्यक्ष जी अपना निर्णय दे चुके हैं और उस व्यवस्था को मुझे मानना अनिवार्य है, उसे ओवर रूल करना मुझे मुनासिब नहीं । इसलिए आप लोग शान्ति बनायें और कार्यवाही चलने दें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या 3 स्थगित कर दी गई ।

(विरोध पक्ष के कुछ सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गए और अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ने का प्रयास करने लगे, जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं नियम 300 की सभी सूचनाएं अस्वीकृत करता हूं और नियम 56 की भी सारी सूचनाएं अस्वीकृत की गई हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सदन को 3 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 12 बजकर 32 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी ।)

3 बजे डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि मा0 उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट और बढ़ा दिया है ।

3 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

(कई विपक्षी सदस्य खड़े होकर बोलने लगे जिसके कारण सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री उपाध्यक्ष–

अध्यक्ष जी का निर्णय हो चुका है, अब इस पर मुझको कुछ नहीं कहना है ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 49–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), अनुदान संख्या 50–राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत), अनुदान संख्या 51–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) तथा अनुदान संख्या 84–सहायता एवं पुनर्वासन विभाग

राजस्व मंत्री (श्री माता प्रसाद)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा की आज दिनांक 16 मार्च, 1989 की कार्यसूची की मद

संख्या 9 की उप मदों–

(1) अनुदान संख्या 49–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 50,32,72,000 रुपए से अनधिक धनराशि,

(2) अनुदान संख्या–50 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,83,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

(3) अनुदान संख्या 51–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,20,02,11,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

(4) अनुदान संख्या 84–सहायता एवं पुनर्वासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 68,13,000 रुपये से अनधिक धनराशि, दिनांक 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में उक्त आवश्यक धनराशियों की पूर्ति के लिए जो मांगें सदन के पटल पर रख दी गई हैं, उनमें क्रमशः अंकित लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशियों के अतिरिक्त धनराशियां, जिनका कुल योग 1 अरब, 80 करोड़, 86 लाख, 80 हजार रुपये हैं, से अनधिक धनराशियां स्वीकृत की जायें ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब कोई कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

(किसी भी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत किया गया ।)

(श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री हर्ष वर्धन, श्री गोपाल दास यादव, तथा श्री फजलुल बारी आदि विपक्षी सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि आज की कार्यसूची के मद संख्या–9 की उप मदें—

(1) अनुदान संख्या 49–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 50,32,72,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

(2) अनुदान संख्या 50–राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,83,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

(3) अनुदान संख्या 51–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,20,02,11,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

(4) अनुदान संख्या 84–सहायता एवं पुनर्वासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 68,13,000 रुपये से अनधिक धनराशि के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो प्रस्ताव अभी सदन में प्रस्तुत किया है यह सदन उससे सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 51 की सभी सूचनाएं अस्वीकृत हुई हैं ।

(कुछ सदस्यों द्वारा अध्यक्ष पीठ की तरफ बढ़ने के प्रयास करने पर)

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 3 बजकर 17 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
16 फरवरी, 1989

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए अता0प्र0सं0 36 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 20 पर)

312-विधान सभा क्षेत्र फर्रुखाबाद के एलोपैथिक चिकित्सालयों (राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, होम्योपैथिक चिकित्सालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टी0बी0 क्लीनिक चिकित्सालय एवं जिला पुरुष एवं महिला चिकित्सालय) एवं अन्यएलोपैथिक चिकित्सालयों का विवरण

वर्ष	मद	कुल आबंटित धनराशि (सभी लेखा-शीर्षक एवं योजनाओं के अंतर्गत)	कुल व्यय की धनराशि	कुल व्ययगत धनराशि (सभी लेखा शीर्षक एवं योजनाओं के अन्तर्गत	व्यपगत होने का कारण
1985-86	1-वेतन	2951142-00	1604002-00	--	--
	2--महंगाई भत्ता, अतिरिक्त महंगाई भत्ता, अन्तरिम सहायता।	800130-00	1035742-00	--	--
	3-अन्य भत्ते	149002-00	314949-00	--	--
	4-औषधि	367680-00	367922-00	--	--
	5-आहार	50,000-00	23092-00	--	--
	6-अन्य व्यय (कार्यालय व्यय आकस्मिक व्यय प्रकीर्ण व्यय अन्य व्यय आदि)	692194-00	691606-00	--	--
1986-87	उपरोक्तानुसार				
	1-वेतन	1547998-00	1379924-00	--	--
	2-महंगाई भत्ता	1219512-00	1372371-00	--	--
	3-अन्य भत्ते	122792-00	274892-00	--	--
	4-औषधि	550445-00	541810-00	--	--
	5-आहार	65000-00	49057-00	--	--
	6-अन्य व्यय	612748-00	566996-00	--	--
1987-88	1-वेतन	1541962-00	1456298-00	--	--
	2-महंगाई भत्ता	1566482-00	2062774-00	--	--
	3-अन्य भत्ते	144574-00	296517-00	--	--

1	2	3	4	5	6
	4–औषधि	656710–00	625028–00	—	—
	5–आहार	95000–00	42637–00	—	—
	6–अन्य व्यय	978075–00	972876–00	—	—
1988–89	1–वेतन	1203370–00	1780518–00	—	—
फरवरी,	2–महंगाई भत्ता	1520836–00	1819872–00	—	—
1989 तक	3–अन्य भत्ते	131281–00	386748–00	—	—
	4–औषधि	413800–00	412888–00	—	—
	5–आहार	65000–00	29445–00	—	—
	6–अन्य व्यय	473664–00	466079–00	—	—

विधान सभा सचिवालय

पी0एस0यू0पी0–एल0 32 विधान सभा (48)–1989–813